महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

दीक्षान्त / अति आवश्यक

निविदा जारी करने की तिथिः 06.03.2025
निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500 / –
निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने
की अंतिम तिथि 15..03.2025 दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय 15.03.2025 अपरान्ह 2.30 बजे
अनुमानित लागतः रूपये 4,00,000 / –
बोली प्रतिभूति राशिः रूपये 8000 / –

निविदा प्रपत्र

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर परिसर में निकट भविष्य में आयोजित होने वाले **दीक्षान्त समारोह** के अवसर पर दीक्षान्त समारोह पूर्व एवं पश्चात् कुलपति निवास (भारती निवास) एवं श्रद्धानन्द अतिथि गृह पर महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा विशिष्ट व्यक्तियों एवं वी.वी.आई.पी. आगन्तुकों हेतु भोजन, हाई टी व दीक्षान्त समारोह में आनेवाले दीक्षार्थियों एवं अन्य आगन्तुकों हेतु नाश्ता पैकेट मय चाय बनाकर उपलब्ध कराने की व्यवस्था बाबत।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म / संस्था का पूरा नाम व स्थायी पता ....

2. फोन नम्बर कार्यालय .... निवास ....मो.नं. ....

3. स्थानीय पूरा पता (यदि कोई हो तो) ....

4. निविदा सूचना संख्या ------- दिनांक ---------- जो ----------- समाचार पत्र के दिनांक -------- के संस्करण में प्रकाशित हुई में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिये हम सहमत हैं उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रतीक स्वरूप नमूने हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिये हम सहमत हैं ।

5. प्रस्तावित दरें छः माह के लिए वैद्य है। जिसकी अवधि आगे छः माह तक के लिये पारस्परिक सहमति से बढाई जा सकेगी।

6. बोली प्रतिभूति राशि हेतु कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में रू. 8000 / – का ड्राफ्ट / बैंकर्स चैकर संख्या .... दिनांक........................ प्रस्तुत है ।

7. निविदा प्रपत्र शुल्क हेतु कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में रू. 500 / – का ड्राफ्ट / बैंकर्स चैकर संख्या........................... दिनांक......................... प्रस्तुत है ।

8. आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग शुल्क हेतु मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल., जयपुर के पक्ष में रू. 500 / – का ड्राफ्ट / बैंकर्स चैकर संख्या........................... दिनांक........................ प्रस्तुत है ।

9. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र वि.वि. वेबसाईट www.mdsuajmer.ac.in एवं राज्य सरकार की वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in तथा https://eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

मैं / हम उक्त प्रासंगिक निविदादाता द्वारा जारी निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार करते हैं तथा संलग्न शर्तों में है को स्वीकार करते हैं।

नोटः–उक्त सामग्री / सामान / सेवायें आदि विश्वविद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम **"दीक्षान्त समारोह"** के लिए क्रय की जा रही है जिसमें **"महामहिम राज्यपाल महोदय"** सहित कई अतिविशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित होगें । अतः आप द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री / सामान / सेवा गुणवत्ता आदि में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही / कमी नहीं होनी चाहिए । निविदा / दरदाता इस बाबत् आपनी क्षमता / सक्षमता / संसाधन आदि से पूर्ण आश्वस्त हो तो ही अपनी दर / निविदा प्रस्तुत करें ।

स्थान -----------

दिनांक ----------

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदा की विशिष्ट शर्तें

1 निविदादाता द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कुलपति निवास (भारती निवास) एवं श्रद्धानन्द अतिथि गृह पर निर्धारित समय/मीनू व दरों पर आगन्तुकों को उच्च क्वालिटी का भोजन बनाकर उपलब्ध कराना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा सीमित निविदा की अनुमोदित दरों के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी।

2 निविदादाता द्वारा भोजन व्यवस्था में प्रयोग होने वाली सामग्री उच्च किस्म की होगी, तेल एगमार्का व शुद्ध सरस देशी घी का उपयोग करना होगा। मसाले, गेहूँ वगैरह अन्य सामग्री भी शुद्ध व उच्च क्वालिटी की काम में लेनी होगी। सब्जियाँ भी ताजा काम में ली जावेंगी। समस्त सामग्री पूर्ण सफाई व शुद्धता के आधार पर बनानी व सर्व करनी होगी। निविदादाता को शुद्ध व उच्च गुणवत्ता का खाना उपलब्ध करवाना होगा गुणवत्ता की पुष्टि के लिए गठित निरीक्षण समिति/सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर जांच की जावेगी।

3 फर्म को कार्यादेश जारी करने से पूर्व भोजन की गुणवत्ता की जांच समिति द्वारा की जायेगी एवं भोजन की गुणवत्ता सही पाये जाने के उपरांत ही कार्यादेश जारी किया जायेगा और निरीक्षण समिति की कार्य समाप्ति पर संतोषनजक रिपोर्ट पश्चात् ही बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत होगा।

4 निर्धारित मीनू में आवश्यकता पड़ने पर आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है उसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

5 निविदादाता द्वारा परिसर तथा आस-पास किसी भी प्रकार की गन्दगी नहीं फैलाई जाएगी तथा कचरे के लिए डस्टबीन का प्रयोग किया जाएगा। कार्य समाप्ति के पश्चात् सफाई करनी होगी।

6 स्वच्छ एवं साफ पीने के पानी के कैम्परों/बोतल की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी।

7 नाश्ते व भोजन के लिए उच्च किस्म की क्रॉकरी तथा टिशु पेपर भी रखने होंगे।

8 निविदादाता को व्यावसायिक गैस सिलैण्डर का ही उपयोग करना होगा।

9 बर्तन, क्रॉकरी, कैटरिंग तथा अन्य समस्त सामग्री की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी।

10 बर्तन, क्रॉकरी, के टूट-फूट व रखरखाव की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

11 भोजन व्यवस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति स्वच्छ एवं साफ वर्दी में दस्ताने पहनकर भोजन व्यवस्था करेंगे। टेबिल पर उच्च क्वालिटी की एप्रिन लगाकर कैटर्स द्वारा भोजन करवाने की व्यवस्था करेंगे।

12 सुरक्षा (आग दुर्घटना आदि), साफ सफाई की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

13 निविदादाता या उसके कार्मिकों द्वारा अतिथियों व विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।

14 निविदादाता या उसके प्रतिनिधिं द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा, नुकसान होने कि अवस्था में उसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी व नुकसान की वसूली संवेदक से की जावेगी।

15 **नगर परिषद/नगर पालिका/नगर निगम/संबंधित राज्य सरकार के विभाग से खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित प्रमाण पत्र व अन्य जरूरी लाईसेन्स प्राप्त करने व निरीक्षण पर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।**

16 **भोजन से किसी प्रकार जनहानि होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। संवेदक को Food Safety and Security Licence का Registration होना आवश्यक है।**

17 चोरी, दुर्घटना एवं अन्य हानि की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

18 **सफल निविदादाता को कार्यादेश पर कार्य की लागत का 5 प्रतिशत (रूपये 20,000/-) कार्य सम्पादन सुरक्षा राशि विश्वविद्यालय, अजमेर में जमा करानी होगी, कार्य सम्पादन सुरक्षा राशि कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् लौटाई जावेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**

19 निर्धारित शर्तों व स्पेसिफिकेशंस के अनुसार कार्य नहीं करने पर निर्धारित समिति/माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रस्तावित शास्ती राशि की कटौती बिल से की जावेगी।

20 कार्य नहीं करने एवं अन्य से विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था करने पर जमा कार्य सम्पादन सुरक्षा राशि जब्त की जावेगी।

21 वित्तीय बिड में आगन्तुकों की संख्या में कमी एवं वृद्धि की जा सकती है एवं आवश्यकता अनुसार कार्यादेश में कम एवं ज्यादा किया जा सकेगा।

22 **कार्यादेश जारी होते ही निर्धारित प्रपत्र में रूपये 500/- के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करना होगा।**

23 अन्य सभी शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी।

मेरे द्वारा उपरोक्त निविदा की समस्त वर्णित शर्तें स्वीकार कर ली गई है। मैं इनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

24 प्रस्तावित दरें छः माह के लिए वैध होगी। जिसकी अवधि आगे 3 माह तक के लिये पारस्परित सहमति से बढ़ाई जा सकती है।

25 वित्तीय बिड में समान दर प्राप्त होने पर सरकारी कार्यक्रम का कार्य अनुभव के आधार पर ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।

26 किसी भी सरकारी संस्था द्वारा डीबार नहीं करने का शपथ-पत्र देना होगा।

27 इस कार्य हेतु किसी भी प्रकार की कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। समस्त कार्य संतोषप्रद एवं समय पर पूर्ण करने पर बिल की तीन प्रतियां प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय सील व पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदा की सामान्य शर्तें

1 निविदा की समस्त शर्तो में परिस्थिति अनुसार शिथिलता प्रदान करने का अधिकार कुलसचिव महोदय, मदसविवि, अजमेर के पास सुरक्षित रहेगा।

2 निविदादाता को निविदा दो सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी प्रथम लिफाफा तकनीकी प्रस्ताव का होगा दूसरा वित्तीय प्रस्ताव का तथा तकनीकी प्रस्ताव में समस्त सूचना देनी होगी। तकनीकी प्रस्ताव में योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेंगे।

3 दरों को शब्दों व अंकों दोनों में देना होगा। शब्दों व अंकों में भिन्नता होने पर शब्दों की दर मान्य होगी।

4 नियमानुसार जी.एस.टी. टैक्स/आयकर की कटौती की जावेगी।

5 विश्वविद्यालय, बजट एवं लेखा नियम (99) एवं सामान्य वित्त एवं लेखा नियम 68 की शर्तों की पालना करनी होगी एवं लोक उपायन में पारदर्शिता नियम 2013 की शर्तो की पालना भी करनी होगी।

6 निविदा को बिना कारण निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव को रहेगा तथा न्याय क्षेत्र अजमेर ही रहेगा।

7 प्रथम अपील अधिकारी कुलपति, मदस विश्वविद्यालय अजमेर व द्वितीय अपील अधिकारी संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार होगें।

8 उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त की जावेगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी व निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जाएगी।

9 निविदा स्याही से भरी जानी चाहिये। पेंसिल से या अन्य से भरी गई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई उपरी लेखन नहीं किया जाना चाहिये तथा शुद्धियां यदि कोई है तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये तथा उस पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।

10 निविदा में अंकित सामग्री/आईटम की मात्रा अनुमानित है। इसमें कमी या वृद्धि विश्वविद्यालय द्वारा की जा सकती है।

मेरे द्वारा उपरोक्त निविदा की समस्त वर्णित शर्तें स्वीकार कर ली गई है। मैं इनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील,
पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
तकनीकी बिड़

कार्य का नामः महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर परिसर में निकट भविष्य में आयोजित होने वाले **दीक्षान्त समारोह** के अवसर पर दीक्षान्त समारोह पश्चात् कुलपति निवास (भारती निवास) एवं श्रद्धानन्द अतिथि गृह पर महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा विशिष्ट व्यक्तियों एवं वी.वी.आई.पी. हेतु आगन्तुकों हेंतु भोजन बनाकर उपलब्ध कराने की भोजन, हाई टी व नाश्ता पैकेट मय चाय व्यवस्था।

निविदादाता को तकनीकी प्रस्ताव हेतु निम्न दस्तावेज सूचना तकनीकी प्रस्ताव लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी निविदा प्रस्ताव का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा किया जावेगा। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय प्रस्ताव का लिफाफा खोला जावेगा।

1. निविदा फार्म शुल्क रू. 500/– का डी.डी./बैंकर्स चैक नं. .... दिनांक .... कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में देय, संलग्न है।
2. बोली प्रतिभूति सुरक्षा राशि रू. 8000/– डी.डी./बैंकर्स चैक नं. .... दिनांक .... कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में देय, संलग्न है।
3. आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग शुल्क हेतु मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल., जयपुर के पक्ष में रू. 500/– का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैकर संख्या.......................... दिनांक........................ प्रस्तुत है ।
4. (i) सक्षम सत्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा का पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न है।
   (ii) फर्म के PAN कार्ड की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न है।
   (iii) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न है।
5. निविदादाता का सक्षम प्राधिकार द्वारा कार्य करने का पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं फूड सेफ्टी एवं सिक्योरिटी लाईसेंस का पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वःप्रमाणित प्रति।
6. निविदादाता को सरकारी या संस्थाओं में भोजन व्यवस्था का सफलता पूर्वक कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र/सम्बन्धित विभागों के कार्योदेश की प्रति ।
7. निविदा में अंकित कार्य के लिए संबंधित विभाग से पंजीयन प्रमाण–पत्र स्वयं का आधार कार्ड/पैन कार्ड/पहचान पत्र ड्राईविंग लाईसेंस/वोटर पहचान पत्र की प्रति।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील व पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
वित्तीय बिड़

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर परिसर में निकट भविष्य में आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह हेतु कुलपति निवास (भारती निवास) एवं श्रद्धानन्द अतिथि गृह पर महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा विशिष्ट व्यक्तियों एवं वी.वी.आई.पी. आगन्तुकों हेतु भोजन, हाई टी व नाश्ता पैकेट मय चाय बनाकर उपलब्ध कराने बाबत।

1. निविदादाता का नाम व पूर्ण पता ____________________

____

2. मैंने / हमने निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं व मुझे / हमें आप द्वारा निर्धारित सभी नियम व शर्तें मान्य हैं।

रिहर्सल अपरान्ह 4.00 बजे

दिनांक 28.03.2025 **स्थानः सत्यार्थ सभागार**

समयः सांय 5.00 बजे

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	अतिथियों की अनुमानित संख्या	**निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें मय सामग्री एवं सर्विस सहित** **प्रति पैकेट (GST व सभी व्यय, करों सहित)**
1.	नाश्ता पैकेट्स ब्रेड पकौड़ा, मठडी, बर्फी, वैफर्स, 200 एम.एल. पानी की बोतल व पानी के कैम्पर	350	

दीक्षान्त समारोह पश्चात्

दिनांक 29.03.2025 **स्थानः सत्यार्थ सभागार**

समयः सांय 5.30 बजे

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	अतिथियों की अनुमानित संख्या	**निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें मय सामग्री एवं सर्विस सहित** **प्रति पैकेट (GST व सभी व्यय, करों सहित)**
1.	नाश्ता पैकेट्स कचौरी, काला जाम, वैफर्स, कुकीज, 200 एम.एल. पानी की बोतल व पानी के कैम्पर	800	

दिनांक 29.03.2025

स्थानः अपाला शोध छात्रावास

समयः प्रातः 8.00 बजे

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	अतिथियों की अनुमानित संख्या	निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें मय सामग्री एवं सर्विस सहित प्रति पैकेट (GST व सभी व्यय, करों सहित)
1.	**नाश्ता** पोहा, उपमा, ब्रेड/जैम, बटर, चाय, 200 एम.एल. पानी की बोतल व पानी के कैम्पर	150	

दिनांक 28.03.2025

स्थानः अपाला शोध छात्रावास

समयः सांयः 7.30 बजे

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	अतिथियों की अनुमानित संख्या	निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें मय सामग्री एवं सर्विस सहित प्रति पैकेट (GST व सभी व्यय, करों सहित)
1.	**भोजन** दाल, मिक्स वेज, चावल, रसगुल्ला, चपाती, अचार, पापड़, सलाद, 200 एम.एल. पानी की बोतल व पानी के कैम्पर	150	

दिनांक 29.03.2025

स्थानः अपाला शोध छात्रावास

समयः अपरान्हः 1.30 बजे

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	अतिथियों की अनुमानित संख्या	निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें मय सामग्री एवं सर्विस सहित प्रति पैकेट (GST व सभी व्यय, करों सहित)
1.	**भोजन** दाल तड़का, आलू छोले, मिर्च टमाटर, वेज रायता, रोटी, चावल, अचार, पापड़, सलाद, गुलाब जामुन, 200 एम.एल. पानी की बोतल व पानी के कैम्पर	150	

दिनांक 29.03.2025

स्थानः श्रद्धानन्द अतिथि गृह

समयः अपरान्हः 3.30 बजे

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	अतिथियों की अनुमानित संख्या	निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें मय सामग्री एवं सर्विस सहित प्रति पैकेट (GST व सभी व्यय, करों सहित)
1.	हाई–टी ड्राई फ्रूट्स, प्लेन सेंडविच, श्रीखण्ड, लस्सी, छाछ, नारियल पानी, कुकीज, चाय (मीठी व फीकी), कॉफी, 200 एम.एल. पानी की बोतल व पानी के कैम्पर	50	

दिनांक 29.03.2025

स्थानः भारती निवास

समयः सांयः 6.00 बजे

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	अतिथियों की अनुमानित संख्या	निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें मय सामग्री एवं सर्विस सहित प्रति पैकेट (GST व सभी व्यय, करों सहित)
1.	एट होम पनीर व पालक पकौड़ा, खस्ता कचौरी, ग्रिल्ड सेंडविच, खमन, वेजीटेबिल सेंडविच, कस्टर्ड फ्रूट क्रीम, रसमलाई, मटका कुल्फी (पत्ते पर), बैकरी कुकीज (मीठी व नमकीन), चाय (मीठी व फीकी), कॉफी, 200 एम.एल. पानी की बोतल व पानी के कैम्पर	350	

भोजन लगभग 50 व्यक्तियों हेतु (दिनांक 29.03.2025 अपरान्ह 1.30 बज)

महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा विशिष्ट व्यक्तियों हेतु

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	अतिथियों की अनुमानित संख्या	निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें मय सामग्री एवं सर्विस सहित प्रति पैकेट (GST व सभी व्यय, करों सहित)
1.	भोजन 1. मिठाई मैंगो रबड़ी, फ्रुट रेनबो, बिदाम कतली, गुलाब जामुन	50	

	2. **सब्जियां** दाल फ्राई, पनीर नूरानी, मलाई कोफ्ता, मिक्स वेज, लाईव भिण्डी 3. **चपाती व अन्य** तवा चपाती, मिस्सी रोटी, बेजड़ रोटी, जीरा राईस, पाईनेपल रायता, हरी सलाद, हरी मिर्च फ्राई, रोस्टेड पापड़, छोटा समोसा, हरी चटनी, मीटी चटनी, मीठा पान, पानी बिसलरी		

भोजन लगभग 300 व्यक्तियों का (दिनांक 29.03.2025 अपरान्ह 1.30 बजे)

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	अतिथियों की अनुमानित संख्या	**निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें मय सामग्री एवं सर्विस सहित प्रति पैकेट (GST व सभी व्यय, करों सहित)**
1.	**भोजन** 1. **मिठाई** रसमलाई, गुलाब जामुन, 2. **सब्जियां** शाही पनीर, मखमली कोफ्ता, मिक्स वेज, दाल फ्राई 3. **चपाती व अन्य** तवा चपाती, पूडी, मिस्सी रोटी, बटर नॉन, अचारी रोटी, जीरा राईस, दही पकौड़ी, हरी व सौंठ की चटनी, सलाद, अचार, पानी बिसलरी	300	

नोटः– **(भोजन व्यवस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति/महिला स्वच्छ एवं साफ वर्दी में दस्ताने पहनकर भोजन व्यवस्था करेंगे। टेबिल पर उच्च क्वालिटी की एप्रिन लगाकर कैटर्स द्वारा भोजन करवाने की व्यवस्था भी करेंगे तथा खाने की प्लेट एवं कटलरी उच्च क्वालिटी की एवं साफ–सुथरी होगी)**

नोटः– आगन्तुकों की संख्या में कमी एवं वृद्धि की जा सकती है।

उक्त समस्त सामग्री को तैयार करने हेतु उच्च क्वालिटी यथा देशी घी–सरस, तेल–सोना सिक्का मूंगफली तेल तथा अच्छी मार्का कम्पनी के मसालों व भोजन सामग्री का प्रयोग करना आवश्यक है।

उपरोक्त दी गई दरों पर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कुलपति निवास (भारती निवास पर) एवं श्रद्धानन्द अतिथि गृह में उपरोक्त वर्णित कार्य को निविदा के आधार पर सम्पन्न करवाने हेतु सहमत हूँ साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि उक्त कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आगन्तुकों एवं अधिकारी/कर्मचारी से व्यवहार कुशलपूर्वक रखूंगा।

नोटः–

प्रस्तावित दरें छः माह के लिये वैध होगी। जिसकी अवधि आगे 3 (तीन) माह तक के लिये पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता द्वारा घोषणा

मै घोषणा करता कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में स्थित कुलपति निवास (भारती निवास) एवं श्रद्धानन्द अतिथि गृह पर भोजन बनाकर उपलब्ध कराने के लिये जो निविदा दी है, उस कार्य के लिये फर्म पंजिकृत है ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी प्रतिभूति को पूर्ण से समप्रत (फोरफिट) कर लिया जावेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया है रद्द कर दिया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील
पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर

Annexure A : Compliance with the Code of integrity and No Conflict of interest

Any person participation in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti -competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with application laws and regulations. i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to.

a. Have controlling partners/shareholders in common: ot

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them, or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid'; or

f. the Bidder or any of it's a ffiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid ;or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hred) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Appellant Signature

Annexure B : Declaration be the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to may/our bid submitted to ....for procurement of -- in response to their Notice Inviting Bids No .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act. 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity:

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document:

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competitions;

Date :

Place ;

Signature of bidder

Name

Designation;

Address:

Annexure C : Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Vice-Chancellor MDSU, Ajmer.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Joint Secretary, Hr. Education (Gr.IV) Department, Government of Rajasthan, Jaipur.

(1) Filling an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days form the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable;

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely;-

(a) Determination of need of procurement;

(b) Provisions limiting participation of Bidders in Bid process;

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) Cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality,

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form alongwith as may copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies therof

relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Appellant' Signature

ANNEXURE D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is oontained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price sthall be corrected, unless in the opinion of the procuring Entity there is and obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the Total shall be corrected ; and

iii. if there isa discrepancy between words is related to and arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid.Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities.

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works of services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document, It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case procurement of Goods of services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Appellant' Signature

Form No. 1

(see rule 83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .... of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

   (i) Name of the appeilant;

   (ii) Residential Address :

2. Name and address of the respondent (s);

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the office /authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a secision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appelian; is aggrieved

4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;

5. Number of affidavits and dovuments enclosed with the appeal;

6. Grounds of appeal;

   ....

   ....

   .... (supported by an affidavit)

7

   ....

   ....

   ....

Place ....

Dated ....

Appellant' Signature

Annexure 3

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTTP) अधिनियम 2012 की धारा 7(2) व 11 के अन्तर्गत घोषणा पत्र

मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 व 11 के अन्तर्गत घोषणा करता हूँ /करते है कि :-

धारा 7(2)

1 आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करते है।

2 ऐसे करों को संदत्त करने की जो बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता-दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगें।

3 दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नही होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा।

4 वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विर्वजन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है।

5 ऐसे हित, जो पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जाये, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगें, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप ये प्रभावित करें।

6 कोई भी अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगें।

धारा 11

7 किसी उपापन संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी या किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं करेगा।

i उपापन प्रक्रिया मे किसी अनुचित लाभ के आदान-प्रदान में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी रिश्वत, इनाम या दान या किसी तात्विक फायदे के किसी प्रस्ताव, याचना या स्वीकृति का या उपापन प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने का

ii दुर्व्यपदेशन सहित किसी लोप का, जो गुमराह करता है या गुमराह करने का प्रयत्न करता है ताकि कोई वित्तीय या अन्य फायदा प्राप्त कर सके या किसी बाध्यता से बच सके :

iii उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, औचित्य और प्रगति का ह्रास करने के लिए किसी दुरभिसंधि, बोली छल या प्रतियोगी-विरोधी व्यवहार का

iv बोली प्रक्रिया में अनुचित लाभ या वैयक्तिक लाभ के आशय से उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच सांझा की गयी सूचना के अनुचित उपयोग का:

v बोली लगाने वाले और उपापन संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी के बीच किसी वित्तीय या कारबार संबंधी संव्यवहारों का:

vi उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्षकार या उसकी सम्पत्ति का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ह्रास या अपहानि या ऐसा करने की धमकी सहित किसी प्रपीडन का :

8 किसी उपापन प्रक्रिया के किसी अन्वेषण या लेखापरीक्षा की किसी बाधा का : प्रतिषेध करने

9 हित के विरोध का प्रकटीकरण करने

10 अंतिम तीन वर्ष के दौरान भारत या किसी भी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्ववर्ती नियमभंग करने के संबंध में या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन के संबंध में बोली लगाने वाले के द्वारा प्रकटीकरण करने, के उपबन्ध सम्मिलित है।

11 अध्याय 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भंग की दशा में उपापन संस्था निम्नलिखित सहित समुचित अध्युपाय कर सकेगी :-

i उपापन प्रक्रिया से बोली लगाने वालों का अपवर्जन

ii संविदा-पूर्व बातचीत की समाप्ति और बोली प्रतिभूति का समपहरण या भुनाना

iii उपापन से संबंधित किसी अन्य प्रतिभूति या बन्धपत्र का समपहरण या भुनाना

iv उपापन संस्था द्वारा किये गये संदायों की, उन पर बैंक दर से ब्याज सहित, वसूली

v उपापन संस्था द्वारा सुसंगत संविदा का रद्दकरण और उपगत हानि के लिए प्रतिकर की वसूली

vi उपापन संस्था के आगामी उपापनों में, धारा 46 के अधीन तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, बोली लगाने वाले को भाग लेने से विवर्जित करना।

बोलीदाता के हस्ताक्षर